संख्या-215/2022/799/41-2022-76(बजट)/2018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 31 मार्च 2022**

विषय- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्पिरिचुअल सर्किट-3 योजना हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को देय सेण्टेज/जी0एस0ट0 एवं लेबर सेस की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8533/के0यो0/स्पिरिचुअल सर्किट-3/2022 दिनांक 29 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से निम्नांकित विवरणानुसार स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

(धनराशि रू0- लाख में)

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना का नाम	जी0एस0टी0 की मद में की गई मांग	सेन्टेज चार्ज मद में की गई मांग	लेबर सेस की मद में की गई मांग	योग
1	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	स्पिरीचुअल सर्किट-3 योजना के अन्तर्गत जेवर, दादरी, खुर्जा, बाँदा, सिकन्दराबाद एवं नोएडा का पर्यटन विकास	45.73	46.94	4.17	96.84
2	कन्सट्रक्शन डिजाईन, उ0प्र0 जल निगम		--	51.87	--	51.87
कुल योग						148.71

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उल्लिखित प्रस्ताव के क्रम में एतद्द्वारा कुल धनराशि रू0 148.71 लाख (रूपये एक करोड अडतालिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) **सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपरोक्तानुसार विभिन्न मदों में धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी धनराशि की प्रामाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।**

(2) **यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजना के अन्र्तगत स्वीकृत परियोजना के कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। यदि आगणन दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व गठित है तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**

(3) **उपर्युक्त स्वीकृत प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।**

3- उक्त प्रस्तर-2 में आपके निवर्तन पर व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0107-स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- आयुक्त/जिलाधिकारी सम्बन्धित मण्डल/जिला ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- संबंधित उप निदेशकगण, पर्यटन निदेशालय/ संबंधित मण्डल।
11- परियोजना प्रबंधक यू0पी0पी0सी0एल0 बांदा इकाई बांदा।
12- परियोजना प्रबंधक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट-45 नोएडा।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।